



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

परिशोधित उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स



क्र०- छग०/सरगुजा/बॉक्स-02/रायपुर  
प्रति,

07 एम०पी०आर० 42002

दिनांक :- 07/11/2017

श्री विकास शर्मा,  
सी०ई०ओ०, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर  
सर्वश्री भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड,  
पोस्ट- बाल्को नगर,  
जिला - कोरबा, छत्तीसगढ़ - 495684

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपकी मैनपाट बॉक्साइड खदान क्षेत्रफल 639.169 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 27/10/2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अजय तवारी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide SRG/BXT/MPLN-46/2016-Raipur dated 26/09/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21: <b>Development: (i)</b> In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given in the Sapanadand Block for the production of mineral in the year 2016-17 from north-eastern and central part of the block. Whereas, the production and development was carried out from different locations and proposed area has been extended without proposal, i.e. the north-eastern quarry has been extended towards northern side and the central quarry has been extended towards southern part of the block. <b>(ii)</b> In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given in the Sapanadand Block for the production of Mineral in the year 2017-18 from eastern and western part of the lease area. Whereas, presently production and development is being carried out from different locations, i.e. the existing quarry is situated at central part of the lease area, the same has been extended towards southern part of the lease area. <b>Stacking of Sub Grade Mineral/Ore:</b> Concurrent backfilling in the mined out area has been proposed in the approved Modified Mining Plan, whereas, in the existing mined out quarries situated at north-eastern part of the Sapnadar Block, approx 40,000 Metric Tonnes of screened subgrade ore/mineral has been stacked.
<b>Rule 26 (2)</b>	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2015-16 and 2016-17.
<b>Rule 45 (7)</b>	Annual Returns of 2016-17 has been scrutinized and it has been found that the cost of production is Rs 2586.50 whereas; Ex-mine price is Rs 926.00. The difference between Cost of Production and Ex-Mine Price may be clarified, as the mineral/ore will be consumed in the Captive Plant.
<b>Rule 46</b>	Appointment notice of newly appointed Mine Agent and Termination/Resignation of earlier Mine Agent has not been sent to the Regional Controller of Mines, IBM, Raipur, in prescribed form H within fifteen days of new appointment.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7)(क) के अंतर्गत

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

कृ०पू००.2.

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री राजीव कुमार, खान एजेन्ट, मैनपाट बॉक्साइड खदान, पो0-कमलेश्वरपुर, तहसील-सीतापुर, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़), पिन-497111

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर